जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– जनपद बिजनौर **दिनॉक 03.09.2025**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में 43वें हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को धारा 21बी/22बी एनडीपीएस में 02 वर्ष 01 माह के कठोर कारावास व ₹4,000/– के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

कार्यवाही: –

दिनांक 25.10.2019 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त उमेश पुत्र स्व0 रामकुमाार निवासी मौ0 पाईबाग कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को एक चाकू नाजायज व 108 नशीली गोलियों सहित गिरफ्तार किया गया, जिस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 541/19 धारा 21/22/8 एनडीपीएस पंजीकृत किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे विवेचना उपरांत आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

उपरोक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 09.09.2025 को मा0 न्यायालय ए0डी0जे0 कोर्ट नं0– 04, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 541/19 धारा 21बी/22बी एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त उमेश पुत्र स्व0 रामकुमार निवासी मौ0 पाई बाग कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को 02 वर्ष 01 माह के कठोर कारावास व 4,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

नोट– उल्लेखनीय है कि अभियुक्त **उमेश पुत्र स्व0 रामकुमार उपरोक्त थाना नजीबाबाद का हिस्ट्रीशीटर (हिस्ट्रीशीट सं0– 68ए) अभियुक्त है,** जिसके विरूद्ध थाना नजीबाबाद पर हत्या/डकैती/एन0डी0पी0एस0 आदि धाराओं में अभियोग पंजीकृत है।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता:–

1. उमेश पुत्र स्व0 रामकुमार निवासी मौ0 पाई बाग कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर **(हिस्ट्रीशीट सं0– 68ए)**

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ **दिनांक – 09.09.2025**

थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा अभियुक्त को पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लेकर अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर व चोरी का एक रुटावेटर व इनवेटर किया बरामद।

संक्षिप्त विवरण –

अवगत कराना है कि दिनांक 22.03.2025 को वादी श्री अवनीश पुत्र चन्द्रभान सिंह निवासी ग्राम जटपुरा महावतपुर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ने थाना अफजलगढ पर तहरीर दी कि अज्ञात चोरो द्वारा वादी व वादी के पडोस में रहने वाले नवनीत का रुटावेटर चोरी किया गया है। इस संबंध में थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 85/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त इदरीश पुत्र अली मौ0 निवासी ग्राम मासूमपुर पोस्ट राजपुर केसरिया ठाकुरद्वारा थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद व अभियुक्त जीशान पुत्र रिफाकत निवासी ग्राम चान्दखेडी थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद के नाम प्रकाश मे आये थे, जिसमें दोनो की गिरफ्तार किया जा चुका है।

कार्यवाही का विवरण -

थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय से अनुरोध कर अभियुक्त जीशान पुत्र रिफाकत निवासी ग्राम चान्दखेडी थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद का दिनांक 09.09.2025 से पुलिस कस्टडी रिमाण्ड स्वीकृत कराया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्त जीशान उपरोक्त को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछकर कर, अभियुक्त की निशादेही पर रामगंगा नदी के किनारे खेत से रूटावेटर व घटना में प्रयुक्त एक ट्रैक्टर स्वराज 744 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 85/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना अफजलगढ) व एक इनवेटर (सम्बन्धित मु0अ0सं0 134/2025 धारा 305(a)/307/331(5)/331(7) बीएनएस सम्बन्धित थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद) बरामद किये गये। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पता-

जीशान पुत्र रिफाकत निवासी ग्राम चान्दखेडी थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी का विवरण –

1.एक ट्रैक्टर व एक रुटावेटर
2.एक इनवेटर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 134/2025 धारा 305(a)/307/331(5)/331(7) बीएनएस चालानी थाना भोजपुर मुरादाबाद
2. मु0अ0सं0 03/2022 धारा 379/411/413/414 भादवि चालानी थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद
3. मु0अ0सं0 85/2025 धारा 303(2)/317(2)/317(4) BNS चालानी थाना अफजलगढ बिजनौर

पुलिस टीम का विवरण:-

1- थाना प्रभारी श्री सुमित राठी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
2- उ0नि0 मनोज कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
3- आरक्षी आकाश थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
4- आरक्षी कृष्ण राणा थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

5- आरक्षी प्रमोद कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
6- आरक्षी अरुण कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर **दिनांक – 09.09.2025**

थाना धामपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 255/2025 धारा 69/352/351(3) बीएनएस सें संबंधित वाछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

अवगत कराना है कि दिनांक 02.07.2025 को वादिनी द्वारा थाना धामपुर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त जुनेद पुत्र शकील उर्फ शराफत निवासी ग्राम हबीबवाला थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी की पुत्री के साथ शादी का झांसा देकर गलत काम कर गाँली गलौच करते हुए धमकी दी गयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 255/2025 धारा 69/352/351(3) बीएनएस बनाम जुनेद पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

आज दिनांक 09.09.2025 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग के वांछित अभियुक्त जुनेद पुत्र शकील उर्फ शराफत निवासी ग्राम हबीबवाला थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता-

1.जुनेद पुत्र शकील उर्फ शराफत निवासी ग्राम हबीबवाला थाना धामपुर जनपद बिजनौर

पुलिस टीम का विवरण –

1. उ0नि0 श्री श्यामपाल सिह थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
2. का0 2366 मोनू कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
3. का0 2574 अमन कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक – 09.09.2025**

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 500/2025 धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट से संबंधित बालअपचारी अभियुक्त को पुलिस निगरानी में लिये जाने के संबंध में।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.09.2025 को वादी द्वारा थाना चांदपुर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त पिंकु पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम नारनौर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर व एक बालअपचारी द्वारा वादी के पुत्र के साथ गलत कार्य किया गया।

इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 500/2025 धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 09.09.2025 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित बालअपचारी अभियुक्त को पुलिस निगरानी में लिया गया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

बालअपचारी का विवरण –

एक बालअपचारी।

पुलिस टीम–

1.उ0नि0 रोबिन कौशिक थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

2.का0 2516 विजय कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर